# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 613/2025 आशा देवी बनाम सरदार सिंह<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 05/06/2026 को पेश हो। | |
| 05/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 08/06/2026 को पेश हो। | |
| 08/06/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 09/06/2026 को पेश हो। | |
| 09/06/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/04/2025 पारित करते हुये तहसीलदार कोटपूतली को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 498/0.96 हैक्टेयर वाके ग्राम भौजावास एवं खसरा नम्बर 503/0.83 हैक्टेयर वाके ग्राम सरुन्ड के मौके पर जाकर सभी पक्षकारान/खातेदारान को सूचित कर उनकी मौजूदगी में उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/04/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीनप्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सूचित कर उनकी मौजूदगी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने व अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के कब्जे को एवं रास्ते को भी दृष्टीगत रखे जाने के कोई निर्देश/आदेश अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में प्रदान नही किये गये है, जबकी पक्षकारान के मध्य | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

## आशा देवी बनाम सरदार सिंह

| तारीख हुक्म | 613/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

विवाद की समाप्ति हेतु उनके कब्जे एवं रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/04/2025 में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे एवं रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जावे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |